13/9/19	पत्रावली पेश न प्रार्थी वकील अनु० / इस वाद कदम पैरवी आदम हाजरी में खारीज किया जा चुका है, अतः आवेदन में आगे की कार्यवाही का कोई औचित्य नहीं रहा, अतः आगे की कार्यवाही इसी स्तर पर समाप्त की जाकर आवेदन खारीज किया जाता है। पत्रावली फैसल सुमार हो औचित्य उपस्थित हो। संख्या के भाग हेतु

सहायक कलक्टर
चौहटन